न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 57/2020

1. श्री शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री जवरीलाल जाति तेली निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. श्री छगनलाल पुत्र श्री मोडा जाति धानका निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 , 132 , 128 सपठित धारा 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री एन.एस.राजावत – प्रार्थी

श्री रामसिंह गुर्जर – सरकार पेरोकार

श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वरप्रसाद सिंह – अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :– दिनांक 17.03.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 , 132 , 128 सपठित धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम जेठाना में वर्तमान खसरा संख्या 3500, 3510, 3519, 3520, 3521, 3527/6098, 4381, 4462, 4466, 5242, 5244, 6629/4448, 6630/4460, 6631/4467 एंव 7007/4381 की आराजी प्रार्थी के स्वामित्व एंव खातेदारी की चली आ रही है। वर्तमान खसरा सख्या 4381 का कुल रकबा 1.04 है0 है जो कि वर्किंग खसरा सख्या 3696 रकबा 06–09–00 बीघा तथा साबिक खसरा संख्या 3329 रकबा 06–09–00 बीघा रहे है। साबिक खसरा संख्या 3329 रकबा 06–09–00 बीघा अन्य भूमियों के साथ श्री अमरा पुत्र श्री सागलराम जाति तेली के खातेदारी एंव कब्जे काश्त में रही है जो कि जरिये विरासत के प्रार्थी के नाम वर्किंग जमाबदीं संवत 2041 में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। प्रार्थी के खसरा सख्या 4381 का कुल रकबा 1.04 है0 रहा है जिमें से 0.19 है0 के रूप में तरमीम किया जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया जा चुका है तथा शेष रकबा 0.85 है0 भूमि को वर्तमान खसरा संख्या 4381 रकबा 0.84 है0 व 7007/4381 रकबा 0.01 है0 के रूप में वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 1298 नया 1178 पुराना में अन्य भूमियों के साथ प्रार्थी के खातेदारी में चली आ रही है। लेकिन भूसंशोधन कार्यवाही के पश्चात कायम किये गये वर्तमान राजस्व मानचित्र सन् 1984–1985 में प्रार्थी के खातेदारी एंव आधिपत्य की भूमि वर्तमान खसरा सख्या 4381 की पश्चिम दिशा की ओर लिपकीय त्रुटि कारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अंकित करते हुए वर्तमान खसरा सख्या 4381 का रकबा कम कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए वर्किंग एंव साबिक राजस्व मानचित्र में किये गये अकंन अनुसार इन्द्राज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । सरकार पेरोकार ने जवाब में निवेदन किया कि प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता है यदि वादी अपना वाद साबित करता है तो अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्व रिकार्ड दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि दस्तावेज को ही जवाब मान लिया जावे।

मैनें उभयपक्ष की बहस सुनी । पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी का नक्शा अप्रार्थी संख्या 2 की दिशा में दुरूस्त नहीं होकर विपरित दिशा की ओर बढ रहा है अतः **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन के हाल राजस्व रिकार्ड में वर्तमान खसरा सख्या 4381 एंव 7007/4381 के वर्तमान नक्शा ट्रेस में वर्किंग एंव साबिक नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जाकर तरमीम किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (पीसांगन (अजमेर))

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन